क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

विहंगावलोकन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश के प्रावधानों के तहत की गई थी, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और 'सहकारी ऋण संरचना' के लिए एक पूरक चैनल बनाने और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण प्रणाली का विस्तार करने की दृष्टि से। भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और आरआरबी को प्रायोजित करने वाले बैंक ने आरआरबी की शेयर पूंजी में क्रमश 50%, 15% और 35% के अनुपात में योगदान दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रचालन का क्षेत्र राज्य के भीतर कुछ अधिसूचित जिलों तक सीमित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से जमा राशि जुटाते हैं और अधिकांशत छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं।

समामेलन

वर्ष 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह पर डा वी एस व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने ग्रामीण ऋण प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रासंगिकता और इसे व्यवहार्य बनाने के विकल्पों की जांच की। समेकन प्रक्रिया वर्ष 2005 में डॉ व्यास समिति की सिफारिशों की एक शाखा के रूप में शुरू की गई थी। 2005 में आरआरबी के समामेलन के पहले चरण में, यह एक राज्य के भीतर बैंक-वार प्रायोजक था, 2012 में दूसरा चरण एक राज्य के भीतर प्रायोजक बैंकों में था और 2019-20 में तीसरा चरण छोटे राज्यों में एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर आरआरबी का समेकन था और बड़े राज्यों में संख्या को कम करना था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आरआरबी के समामेलन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। नाबार्ड इन बैंकों के समामेलन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। यह प्रक्रिया बेहतर बुनियादी ढांचे, कम्प्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल, सामान्य प्रचार और विपणन प्रयासों आदि के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से शुरू की गई थी। एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिचालन के बड़े क्षेत्र, उच्च मूल्य के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट एक्सपोजर सीमा और विविध बैंकिंग गतिविधियों से भी लाभ होता है। लगातार समामेलन के बाद, 31 मार्च 2023 तक देश में आरआरबी की संख्या 43 थी, जिसमें 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 708 अधिसूचित जिलों को कवर करने वाली 21,999 शाखाओं का नेटवर्क था। सिक्किम, दिल्ली और गोवा में कोई आरआरबी नहीं है।

समीक्षा बैठकें

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की छमाही समीक्षा बैठकें लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, निवेश प्रबंधन, अभिशासन संबंधी मुद्दों आदि के विशेष संदर्भ में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुनिश्चित पोर्टल के माध्यम से सृजित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

आरआरबी के प्रदर्शन की निगरानी

• आरआरबी, तीन मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं अर्थात सीआरएआर 10% से कम, जीएनपीए 10% से अधिक, पिछले लगातार दो वर्षों से परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न (%) उन्हें 'फोकस में आरआरबी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 'फोकस में आरआरबी' का तंत्र आरआरबी को चेतावनी के संकेत के रूप में कार्य करता है ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति में और गिरावट और 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (पीसीए) ढांचे में गिरावट से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय शुरू करें।

• 31 मार्च 2023 तक लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक 16 आरआरबी की तुलना में 15 'आरआरबी फोकस में हैं'.

आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण

• वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आरआरबी में 10,890 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा (50%) - 5,445 करोड़ रुपये) पूंजी डालने का फैसला किया।

• वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के दौरान आरआरबी को कुल पुनर्पूंजीकरण सहायता राज्य सरकारों (15%) और प्रायोजक बैंकों (35%) द्वारा आनुपातिक शेयर पूंजी योगदान के बाद 10,890 करोड़ रुपये होगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 1975 से वित्त वर्ष 2020-21 तक सभी हितधारकों द्वारा कुल पूंजी निवेश केवल ₹ 8,393 करोड़ था।

योजना के उद्देश्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्व में नियमित रूप से पूंजी लगाई गई है ताकि उन्हें 9% सीआरएआर (पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात) की विनियामक आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सके।

• तथापि, इस नवीनतम योजना का उद्देश्य पर्याप्त विकास पूंजी के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कायाकल्प और पुनरूद्धार करना है ताकि वे स्वयं को सतत रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर वित्तीय संस्थानों के रूप में पुनर्स्थापित कर सकें और विकास प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकें। पूंजी निवेश से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रौद्योगिकी अपनाने और ग्रामीण आबादी की वित्तीय समावेशन आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, पुनर्पूंजीकरण योजना के साथ-साथ ऋण विस्तार, व्यापार विविधीकरण, एनपीए में कमी, लागत यौक्तिकीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने, कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार आदि के उद्देश्य से सुपरिभाषित कार्यान्वयन तंत्र के साथ सतत व्यवहार्यता योजना के व्यापक दायरे के अंतर्गत प्रचालनात्मक और शासन सुधार किए जाते हैं।

स्वीकृत और जारी की गई राशि

• वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 22 आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता के रूप में ₹ 8,168 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 4,084 करोड़) की राशि मंजूर की गई थी।

• वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने अपने दिनांक 28 मार्च 2022 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से नाबार्ड के निपटान में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए भारत सरकार के 4,084 करोड़ रुपये के हिस्से को रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा निधियों की आनुपातिक पूर्व रिलीज के आधार पर आरआरबी को भारत सरकार का हिस्सा जारी करने की सलाह दी गई है.

• 31 मार्च 2023 तक, नाबार्ड ने 22 आरआरबी को 4,084 करोड़ रुपये की पूरी राशि में भारत सरकार का हिस्सा जारी किया है.

• डीएफएस, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 22 आरआरबी को ₹2,722 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹ 1,361 करोड़) की राशि मंजूर की। 31 मार्च 2023 तक, 10 आरआरबी को अपने संबंधित प्रायोजक बैंकों से 651.42 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

डैशबोर्ड- RRB दर्पण

आरआरबी वित्त वर्ष 2022-23 से विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध (स्मार्ट) संकेतकों वाली तीन वर्षीय सतत व्यवहार्यता योजनाओं को लागू कर रहा है। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवहार्यता योजनाओं की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन की निरंतर निगरानी करने के लिए नाबार्ड (आईडीडी-एचओ) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सतत निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया है। डैशबोर्ड आरआरबी से मासिक आधार पर 140 मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों में डेटा कैप्चर करता है और उनके बोर्ड अनुमोदित व्यवहार्यता योजनाओं के खिलाफ आरआरबी के प्रदर्शन को सरल रिपोर्ट और चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। डैशबोर्ड का अनावरण 14 नवंबर 2022 को किया गया था।

महत्वपूर्ण नीतिगत विकास

• पंजीकरण के लिए मानदंडों में छूट- सीजीटीएमएसई:

सीजीटीएमएसई के साथ सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में आरआरबी के पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और नाबार्ड समग्र रेटिंग मॉडल के तहत 'ए' रेटिंग (75 और उससे अधिक का स्कोर) को अनिवार्य करने वाले मानदंड को हटा दिया गया है (अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2021)। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सीजीटीएमएसई ने 50 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओं (आरआरबी के लिए कवरेज की अधिकतम सीमा) के लिए आरआरबी की योजना के तहत खुदरा व्यापार को एक पात्र गतिविधि के रूप में अनुमति देने का निर्णय लिया है।

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से संसाधन जुटाना:

डीएफएस ने 14 सितंबर 2022 को आरआरबी द्वारा पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।